न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 49/2016

प्रार्थी बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी पुलिस थाना,
धोरीमन्ना

अप्रार्थीगण

पीराणा खां पुत्र हाजी
मतारा खां जाति मुसलमान
पेशा ड्राईविंग निवासी
भूणिया पुलिस थाना
धोरीमन्ना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1.श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2.अप्रार्थी एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 12.07.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2016. को सहायक उ.प. पुलिस निरीक्षक पुलिस धोरीमन्ना मय जाब्ता के थाना से रवाना होकर करबा धोरीमन्ना,नेडीनाडी,जालबेरी,मुकने का तला, बामणोर, नवातला में गश्त करते हुए रात्रि 3.00 एएम पर भूणिया पहुॅचने पर नवातला की तरफ एक केम्फर गाडी आती दिखाई दी जिसका बावर्दी रूकने का ईशारा कर बोलेरो कैम्फर गाडी नम्बर आरजे 15 जीए 1474 को रूकवाई गई। चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम पीराणा खा पुत्र हाजी मतारा खा जाति मुसलमान निवासी भूणिया होना बताया। गाडी के कागजात मांगने व गाडी में भरे ड्रम के बारे में पूछने पर कोई संतोषजक जवाब नहीं देकर बाथरूम का बहाना कर बबूल की झाड़ीयो का ओटा देकर भाग गया .जिस पर स्टाफ द्वारा पीछे करने एंव रात्रि होने से दस्तायब नहीं हो सका। इस पर शक होने पर ट्रोले में भरे ड्रम को चैक करने पर एक लोहे के ड्रम में नीला केरोसीन भरा पाया गया जिस पर गेज लगाकर नापने पर ड्रम में 180 लीटर राशन का नीला केरोसीन भरा हुआ पाया गया। नीला राशन का केरोसीन परिवहन करने का कोई परमिट व लाइसेन्स नहीं होने एंव अपना वाहन छोड़कर भागने से कैम्फर वाहन एंव ड्रम में नीला राशन का केरोसीन को पुलिस कब्जा लिया जाकर प्रार्थी ने 180 लीटर नीला केरोसीन एंव बोलेरो कैम्फर गाडी

जिला कलेक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

नम्बर आरजे 15 जीए 1474 बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया।

2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया एंव बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये। पुलिस द्वारा बरामद बोलेरो कैम्फर गाडी नम्बर आरजे 15 जीए 1474 को जमानतनामा एंव सुपुर्दगीनामा पर वाहन मालिक पीराणा खां पुत्र मतारा खा जाति मुसलमान निवासी भूणिया तहसील, सेड़वा को सुर्पुद करने के आदेश पारित किये।

3. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री माधोसिंह चौधरी हाजिर आये।जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप्प अप्रार्थी का जवाब बन्द किया।

4. वक्त बहस अप्रार्थी एंव अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। हमने प्राथी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम,बाड़मेर की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम,बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा नीले रंग का केरोसीन कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैध रूप से वाहन केम्फर परिवहन किया जा रहा था। वक्त बरामदगी अप्रार्थी के पास केरोसीन रखने एंव परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस एंव परमिट नहीं पाया गया। इसलिये बरामद केरोसीन व केरोसीन के उपयोग में लिये गये वाहन को जब्त सरकार किया जाए।

5. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से दिनांक 08.07.2016 को 180 लीटर नीले रंग का केरोसीन बोलेरो कैम्फर गाडी नम्बर आरजे 15 जीए 1474 से परिवहन करते हुए बरामद किया गया है। इस केरोसीन तेल को रखने हेतु अप्रार्थी के पास वक्त बरामदगी कोई अनुज्ञा पत्र एंव परमिट नहीं पाया गया। इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वरा बिना वैध कागजात के उक्त बोलेरो कैम्फर गाडी नम्बर आरजे 15 जीए 1474 से केरोसीन को कालाबाजारी में परिवहन किया जा रहा था। नीले रंग का केरोसीन उचित मूल्य की दुकान के मार्फत उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है। यह केरोसीन खुले बाजार में विकय नहीं किया जाता है। इस केरोसीन को केवल अनुज्ञाधारी व्यक्ति ही राशनकार्ड धारियो को विक्रय कर सकता है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 3 के सब क्लाज 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी व्यक्ति के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अलावा और कोई व्यक्ति नीले रंग के केरोसीन को न तो रख सकता है और न ही विक्रय कर सकता है। मगर इस मामले में अप्रार्थी ने बिना अनुज्ञा पत्र व परमिट के नीले रंग के केरोसीन का संग्रह करने एंव अनाधिकृत रूप से रखने के फलस्वरूप क्लाज 3 के सब क्लाज 2 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी आदेश KEROSEN (RESTRICTION ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE) ORDER, 1993 क्लाज 3(1) का उल्लंघन किया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 180 लीटर नीला केरोसीन जब्त सरकार करने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से 180 लीटर केरोसीन परिवहन हेतु बोलेरो कैम्फर गाडी नम्बर आरजे 15 जीए 1474 उपयोग में लिया गया है। any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such essential commodity के सम्बन्ध में धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम के दूसरे परन्तुक में यह प्रावधान है कि–

Provided further that in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the essential commodity sought to be carried by such animal, vehicle, vessel or other conveyance.

6. अतः प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 180 लीटर नीला केरोसीन के परिवहन हेतु बोलेरो कैम्फर गाडी नम्बर आरजे 15 जीए 1474 उपयोग मे लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए)के उक्त परन्तुक का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिक अप्रार्थी पीराणा खां पुत्र मतारा खा जाति मुसलमान निवासी भूणिया तहसील, सेड़वा पर 2890/–अक्षरे रूपये दो हजार आठ सौ निब्बे जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी जुर्माना की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.07.2017 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। एक माह की अवधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से बरामद 180 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय ड्रम को राजसात(CONFI

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

SCATE) किया जाता है। चूँकि बरामद केरोसीन एंव ड्रम का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि रूपये 2891/—राज्य कोष में जमा हो।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner